



ई-मेल/ डाक

CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 160/पविनिनिलि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 26.04.2025

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निम्नलिखित कार्मिक को "स्वेच्छा पर" स्थानान्तरित कर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित इकाई में आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम, पिता का नाम/ गृह जनपद/पदनाम/सैप आई.डी.	वर्तमान तैनाती इकाई/कार्यालय	नव आवंटित इकाई/कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री खुरमुल्ली राम/ आजमगढ़/अवर अभियन्ता/11004321	विद्युत वितरण खण्ड, देवबन्द	गाजियाबाद क्षेत्र-तृतीय, गाजियाबाद

उपरोक्त आदेश मा० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश, दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल नियमानुसार अनुमन्य नहीं होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि उक्त कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नव तैनाती इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 160 (i)/पविनिनिलि, तददिनांक : 26.04.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. शिविर कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक महोदया, पविनिनिलि, मेरठ।
3. मुख्य अभियन्ता, पविनिनिलि, गाजियाबाद क्षेत्र-तृतीय/सहारनपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, पविनिनिलि, विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम, सहारनपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता, पविनिनिलि, विद्युत वितरण खण्ड, देवबन्द।
6. सम्बन्धित कार्मिक/कट फाइल।


(विनोद कुमार अवस्थी)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)